

सोसायटी पंजीयन हेतु मार्गदर्शी बिन्दु

सोसायटी पंजीयन हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक निम्नांकित दस्तावेज रखे जाना सुनिश्चित करें :-

1. सोसायटी के अधिकृत पदाधिकारी का फोटो (jpeg file size up to 50 KB)
2. सोसायटी के अधिकृत पदाधिकारी का फोटो आई डी (PDF file size up to 100 KB)
3. सोसायटी के अधिकृत पदाधिकारी का एड्रेस प्रुफ (PDF file size up to 100 KB)
4. सोसायटी की नियमावली अपलोड कराये जाने की स्थिति में(Niyamavali PDF file size up to 350 KB)
5. आवेदक द्वारा साइबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा कराये जाने की स्थिति में चालान रसीद की प्रति तथा **CIN** नंबर।

शुल्क जमा करने की प्रक्रिया निम्नांकित दो चरणों में होगी :-

1. एमपीऑनलाइन (<https://www.mponline.gov.in>) के माध्यम से आवेदन का पंजीयन क्रमांक पोर्टल शुल्क के भुगतान के उपरान्त जनरेट कया जाना। (साधारण सोसायटी- रुपये 100/-, युवक मंडल-रुपये 40/-, महिला मंडल-रुपये 40/-)
2. साइबर ट्रेजरी (<http://www.mptreasury.org>) के माध्यम से पंजीयन शुल्क भुगतान की कार्यवाही के उपरान्त सी.आई.एन. नं. रसीद जनरेट की जाना। (साधारण सोसायटी- 3000/- रुपये(सामान्य), 5000/- रुपये(तत्काल), युवक मंडल-1000/- रुपये,(सामान्य),1500/- रुपये(तत्काल), महिला मंडल-1000/- रुपये(सामान्य), 1500/- रुपये(तत्काल))।

सोसायटी पंजीयन हेतु आवश्यक निर्देश :-

1. सोसायटी के पंजीयन हेतु कम से कम 7 निर्माणकर्ता होना आवश्यक है।
2. समस्त निर्माणकर्ताओं के पूर्ण नाम पता/पति के नाम सहित एवं पूर्ण पते भवन क्रमांक सहित अंकित होना आवश्यक है।
3. सोसायटी के उद्देश्य मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 2 के अनुरूप होना आवश्यक है।
4. सोसायटी का नाम मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 6(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत होना आवश्यक है। (भारत, इंडिया, म.प्र., मध्यप्रदेश, प्रयदर्शनी, नेशनल, नेशन, राष्ट्र, राष्ट्रीय आदि प्रतिबंधित है, को छोड़कर)
5. स्वयं की नियमावली अपलोड करने की दशा में ज्ञापन पत्र एवं नियमावली में सोसायटी का नाम, पता एवं उद्देश्य एक समान अंकित कया जाना सुनिश्चित करें।
6. पंजीयन शुल्क साइबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा कराये जाने के उपरांत जो सी.आई.एन. नं. जनरेट होगा, उसका उल्लेख एमपीऑनलाइन के पोर्टल पर निर्धारित स्थान पर कया जाना आवश्यक है।

सोसायटी पंजीयन के अनुमोदन के पश्चात दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु मार्गदर्शी बिन्दु :-

1. ज्ञापन पत्र निर्धारित स्थान पर समस्त निर्माणकर्ता एवं हस्ताक्षर यथा स्थान होना चाहये।
2. नियमावली के प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम तीन पदाधिकारय के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी होना चाहये।
3. ज्ञापन एवं नियमावली के तीन-तीन हस्ताक्षर मूल प्रतियाँ जाना चाहिए।
4. उक्त दस्तावेज के साथ चालान की मूल प्रति/ साइबर ट्रेजरी द्वारा जनरेट की गई रसीद की प्रति संलग्न कर भेजना चाहिए। उक्त दस्तावेज सहित संबंधित कार्यालय को भेजना सुनिश्चित कया जाना आवश्यक है।

फर्म पंजीयन हेतु मार्गदर्शी बिन्दु :-

फर्म पंजीयन हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक निम्नांकित दस्तावेज रखे जाना सुनिश्चित करें:-

1. फर्म के अधिकृत भागीदार का फोटो (jpeg file size up to 50 KB)
2. फर्म के अधिकृत भागीदार का फोटो आई डी (PDF file size up to 100 KB)
3. फर्म के अधिकृत भागीदार का एड्रेस प्रुफ (PDF file size up to 100 KB)
4. फर्म की डीड (PDF file size up to 350KB)
5. आवेदक द्वारा साइबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा कराये जाने की स्थिति में चालान रसीद की प्रति तथा **CIN** नंबर।

शुल्क जमा करने की प्र क्रया निम्नांकित दो चरणों में होगी :-

1. एमपीऑनलाइन (<https://www.mponline.gov.in>) के माध्यम से आवेदन का पंजीयन क्रमांक पोर्टल शुल्क के भुगतान के उपरान्त जनरेट कया जाना। (पोर्टल रूपये **100/-**)
2. साइबर (<http://www.mptreasury.org>) के माध्यम से पंजीयन शुल्क भुगतान की कार्यवाही के उपरान्त सी.आई.एन. नं. रसीद जनरेट की जाना। (फर्म पंजीयन हेतु **605/-**)

फर्म पंजीयन हेतु आवश्यक निर्देश :-

1. फर्म के नाम निम्न ल खत शब्दों में कसी का भी अर्थात क्राउन,एम्परर,एम्पायर एम्पिरियल कंग,क्वीन,रायल,नेशन,नेशनल,राष्ट्रीय,राष्ट्र, म.प्र., भारत,इंडया आदि या ऐसे शब्दों का जिनसे सरकार की मंजूरी अनुमोदन या प्रतिशय अ भव्यक्ति वव क्षत होता हो उपयोग न कया जाएगा सवाय जब क राज्य सरकार ने फर्म नाम के भाग स्वरूप ऐसे शब्दों के उपयोग के लए अपनी सम्मति ल खत आदेश द्वारा दे दीगई हो।
2. फर्म के पंजीयन हेतु कम से कम 2 भागीदार होना आवयक है, अधिकतम 20 भागीदार मलकर फर्म गठित कर सकते हैं।
3. फर्म पंजीयन हेतु निर्धारित फॉर्म पर फर्म के कारोबार का मुख्य स्थान वह तारीख जिसको हर एक भागीदार फर्म में शा मल हुआ हो, भागीदारों के पूरे नाम एवं पूरे स्थायी पते तथा फर्म की अस्तित्व ध अंकित होना आवयक है।
4. फर्म के समस्त भागीदार को निर्धारित स्थान पर पृथक-पृथक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवयक है।
5. निर्धारित प्रारूप पर दिया गया ववरण फर्म की भागीदार डीड के अनुसार होना आवयक है।

फर्म पंजीयन के अनुमोदन के पश्चात दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु मार्गदर्शी बिन्दु :-

1. फर्म के समत भागीदार को निर्धारित स्थान पर संयुक्त रूप से एवं पृथक .पृथक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर निर्धारित प्रारूप पर करना आवयक हैं।
2. समस्त भागीदार के संयुक्त हस्ताक्षर एवं पृथक-पृथक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षरों का प्रमाणीकरण (सत्यापन, एडवोकेट,सीए अथवा राजपत्रित अधिकारी के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण करना आवयक हैं।
3. उक्त दस्तावेज के साथ चालान की मूल प्रति साइबर ट्रेजरी द्वारा जनरेट की गई रशीद की प्रति संलग्न कर भेजना चाहिए। उक्त दस्तावेज संबन्धित कार्यालय को भेजना सुनिश्चित कया जाना आवयक हैं।